न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 24/2016

1. प्राप्ति आयु 4 वर्ष पुत्री अनिल जाति जाट निवासी हंसासर नाबालिक जरिये माता सुमन देवी पत्नी अनिल जाति जाट निवासी हंसासर
2. जयश आयु 1 वर्ष पुत्र अनिल जाति जाट निवासी हंसासर नाबालिक जरिये माता सुमन देवी पत्नी अनिल जाति जाट निवासी हंसासर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल पुत्र सन्तकुमार जाति जाट निवासी हंसासर
2. सन्तकुमार पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
3. रामकुमार पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
4. प्रहलाद पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
5. रामप्यारी पुत्री मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
6. संतोष पुत्री मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
7. सुभिता पुत्री मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर
8. सुनिल पुत्र सन्तकुमार जाति जाट निवासी हंसासर
9. झुझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 झुझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
10. उप पंजीयक मलसीसर
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
12. सुधा पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी हंसासर
13. राज. ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्गर्त आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 जा.दी.

निर्णय

निर्णय दिनांक 08.03.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हंसासर पटवार हल्का हंसासर की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 703/870 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 730/839 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 736/948 रकबा 0.18 है0 गै0मु0 सड़क, खसरा नम्बर 737 रकबा 2.10 है0, खसरा नम्बर 741 रकबा 2.85 है0, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 771 रकबा 2.68 है0, खसरा नम्बर 772 रकबा 1.34 है0, ख0न0 373 रकबा 4.01 है0, खसरा नम्बर 373/929 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 715 रकबा 0.34 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें ख0न0 703/870, 729, 730/839, 735, 736/948, 737, 741, 763, 771 व 772 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि हैतथा खसरा नम्बर 373, 373/929, 715 कुल किता 3 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि निर्मला देवी जो रिश्ते में प्रार्थीगण की दादीजी लगती है, के नाम दर्ज है। उक्त भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

प्रार्थीगण के दादाजी अप्रार्थी संख्या 2 ने पैतृक सम्पति से प्राप्त आय से अपनी पत्नी निर्मला के नाम क्रय की थी इस कारण उक्त भूमि भी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण की दादीजी निर्मला देवी अप्रार्थी संख्या 1 की माता जी उक्सर बीमार रहती थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 8 के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। अप्रार्थी संख्या 8 व 12 ने आपस में षड़यंत्र करके भूमि ख0न0 373, 373/929 व 715 की वसीयत अप्रार्थी संख्या 12 ने निर्मला देवी को मिसरिप्रजेन्ट करके दिनांक 04.06.2013 को गलत रूप अपने नाम करवा ली और प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित कर दिया। और अब अप्रार्थी संख्या 12 उक्त वर्णित भूमि को गलत रूप से अपने नाम करवाकर विक्रय करना चाहती है। विक्रय करने से प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाग्रस्त भूमि को विक्रय ना करे तथा दावे के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3, 8 व 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि निर्मला देवी ने वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि अपना आभूषण विक्रय करके व अपने भाई से रूपये उधार लेकर खरीदी थी जो कि पैतृक सम्पति नहीं है बल्कि उक्त भूमि की निर्मला देवी Absolut owner थी। और निर्मला देवी ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि का वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या 12 श्रीमती सुधा पत्नी सुनिल कुमार के नाम दिनांक 04.06.2013 को उप पंजीयक मलसीसर के यहां तस्दीक करवा दिया। निर्मला देवी की मृत्यू के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 12 सुधा पत्नी सुनिल ही उक्त वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। वसीयतनामा आरम्भ से शून्य नहीं है उक्त वसीयतनाम वैद्व है जिसे राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिये प्रार्थीगण का वाद धारा 2 में वर्णित भूमि बाबत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 7 बाद तामिल अनुपस्थित रहे इनकी ओरसे कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 7 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 बाबत निरस्त किये जाने एक पक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 01.10.2019 मय दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जो स्वीकार किया जाकर इन्हे सुनवाई का अवसर दिया गया इनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर सीधी बहस करनी चाही।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 2 सन्तकुमार ने अपनी पत्नी निर्मला देवी के नाम 1987 में नारायणसिंह से जरिये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी विवादीत भूमि संयुक्त परिवार में रहते हुए पैतृक सम्पति प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि से प्राप्त आय से क्रय की गई थी इसलिये यह भी पैतृक सम्पति है। दोनो पक्षो के मध्य शांति बने रहे विवाद नहीं बढे उक्त तथ्यों के मध्यनजर मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन जारी किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने भी मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3, 8 व 12 के दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निर्मला ने उक्त भूमि अपने आभूषण बेचकर भाई से पैसे उधार लेकर क्रय की थी जिसकी वह Absolut owner थी और उसे बेचने, उसकी वसीयत करने का उसे पूर्ण अधिकार है। इस संबंध में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 स्पष्ट है। अतः मद संख्या 3 में वर्णित भूमि को छोड़कर शेष भूमि जो पैतृक भूमि है, पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। वसीयत पर कोई रिलिफ चाहिये तो सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने मूल वाद के निस्तारण तक निषधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने से दोनो पक्षों के हक हकुक पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगासाथ ही केवल रिकार्ड की यथास्थिति अपूरणीय क्षति का कारक नही बनता है। बल्कि वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द होने से वाद में ओर जटिलता होने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में जटिलता ना हो और दोनो पक्षो में शांति बनी रहे इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के पैतृक सम्पति होने अथवा नहीं होने का है, उसका विचारण मूल वाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व अथवा पैतृक सम्पति होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहीत में उचित प्रतीत होता है।

तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से पूर्ण सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में ओर जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम हंसासर के ख0न0 703/870, 729, 730/839, 735, 736/948, 737, 741, 763, 771, 772, 373, 373/929 व 715 की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट) 08/03/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर